Form No.III

फर्द अहमका

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री कमलेश शर्मा वगै0 **बनाम** गोवर्धन शर्मा वगै0

किस्म मुकदमा .....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट.....न. 156 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27.06.2017	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम महुआखुर्द में पेंश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता शिविर में उपस्थित। विपक्षीगण वक्त केम्प उपस्थित नही। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम महुआखुर्द पटवार हल्का महुआखुर्द भू0अ0निरीक्षक महुआखुर्द तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 589 के **आराजी सख्यां 817 कुल किता 01 कुल रकबा 03–00 बीघा,** खतौनी सख्या 590 के **आराजी सख्यां 54, 55, 122, 125, 126, 137, 549, 554, 555, 560, 769, 798, 800 कुल किता 13 कुल रकबा 12–05 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में वादीगण व विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 13 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा कथन कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का पूर्व में विभाजन नही हुआ जिससे प्रार्थीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन लगान आदि जमा कराने व मेड पाली की घास काटने संबधि विवाद होता रहता है। प्रार्थी विवादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षीगण आराजीयात को बिना विभाजन कराये बेचान हस्तान्तरित एंव खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यदि भविष्य में विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को विकय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी, वादपत्र व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा उक्त आराजीयात का अन्तरण बेचान आदि कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थी के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थी के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इस प्रकार आंशिक स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम महुआखुर्द पटवार हल्का महुआखुर्द भू0अ0निरीक्षक महुआखुर्द तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 589 के **आराजी सख्यां 817 कुल किता 01 कुल रकबा 03–00 बीघा,** खतौनी सख्या 590 के **आराजी सख्यां 54, 55, 122, 125, 126, 137, 549, 554, 555, 560, 769, 798, 800 कुल किता 13 कुल रकबा 12–05 बीघा** में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 13 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	